



क्रमांक / छगस्वावितविवि / परीक्षा / 2018 / ..1760


भिलाई, दिनांक 11/12/2018.

अधिसूचना

विश्वविद्यालयीन सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधन प्रकरणों के तहत जब्त किए गए मोबाईल फोन की वापसी के लिए सामान्य मोबाईल फोन (Key Pad Mobile) हेतु अर्थदंड राशि रूपए 500/- एवं टच स्क्रीन मोबाईल फोन (Touch Screen Mobile) हेतु अर्थदंड राशि रूपए 2500/- निर्धारित किया गया है।

परीक्षार्थियों द्वारा मोबाईल फोन का दावा, विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ अर्थदंड की रसीद एवं पहचान पत्र संलग्न कर यू.एफ.एम. के परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से तीन माह के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है, इसके पश्चात् विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

परीक्षा सत्र अप्रैल-मई 2015 से परीक्षा सत्र अप्रैल-मई 2018 तक जब्त किए गए मोबाईल फोन की वापसी हेतु एक और अवसर प्रदान किया जाता है, इसके लिए आवेदन पत्र दिनांक 15 फरवरी 2019 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।


कुलसचिव
छगस्वावितविवि, भिलाई
11/12/18